C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXV, Twelfth Session, 2017/1939 (Saka)
No. 6, Monday, July 24, 2017/Shravana 2, 1939(Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Loss of lives in different tragic incidents	5
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 101 to 107	7-72
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 108 to 120	73-154
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380	155-635

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 636-643

STATEMENTS BY MINISTERS 644-646

(i) Strategic sale of Government of India's existing 51.11% of total paid up equity shareholding in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) to Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) alongwith transfer of management control

Shri Dharmendra Pradhan 644-645

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Ministry of Steel

Shri Vishnu Dev Sai 646

GOVERNMENT BILLS - Introduced

(i) Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017 647-648

(ii) Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017 650

STATEMENT RE: BANKING REGULATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2017 649

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Reported attacks by cow vigilant groups across the country 653-655

SUSPENSION OF MEMBERS 675-676

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 678

Member-wise Index to Unstarred Questions 679-685

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 686

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 687

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, July 24, 2017/Shravana 2, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER
Loss of lives in different tragic incidents

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 20 जुलाई, 2017 हिमाचल प्रदेश में रामपुर के निकट खनेरी के पास एक यात्री बस के गहरी खाई में गिरने से 28 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कई अन्य व्यक्ति घायल हो गए।

एक अन्य दुर्घटना में 22 जुलाई, 2017 को राजस्थान में उदयपुर जिले के निकट तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के पलट जाने के कारण 6 महिलाओं समेत 9 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई अन्य व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है।

माननीय सदस्यगण, गुजरात के कई भागों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण जान-माल के भारी नुकसान की सूचना है। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं तथा सम्पत्ति, फसलों और मवेशियों की भारी मात्रा में क्षति पहुंची है।

सभा इन दुःखद घटनाओं पर अपना गहरा दुःख व्यक्त करती है, जिसके कारण शोकसंतप्त परिवारों को कष्ट और पीड़ा हुई है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ की कामना करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

11.02 hours

(The Members then stood in silence for a short while.)

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ और नहीं। अभी केवल क्वैश्चन आवर होगा।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, your issues will be taken up after Question Hour. Let us now take up Question Hour. Question No.101 – Shri K.M. Patil.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is this? Please sit down.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

11.04 hours

(At this stage Shri K.C.Venugopal, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: What is this? This is not good.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या है? रोज उठ जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You go to your seats. I will not allow this. I am sorry.

... (*Interruptions*)

11.04 ½ hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Question No. 101, Shri Kapil Moreshwar Patil.

(Q. 101)

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : मैडम, पहले तो विस्तार से जवाब मिलने के कारण मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) वर्ष 2014 से 2017 तक निर्यात में वृद्धि हुई है।...(व्यवधान) मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र में टेक्सटाइल का बहुत बड़ा कारोबार है।...(व्यवधान) इसी तरह मालेगांव, इचलकरंजी, सूरत, तमिलनाडु, भीलवाड़ा, केरल, इन ज़गहों पर भी टेक्सटाइल का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर है।...(व्यवधान) हमारे यहां जो कपड़ा बनता है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हम अपना कपड़ा निर्यात नहीं कर पाते हैं।...(व्यवधान) उसकी वजह यह है कि हमारे देश तथा विश्व में चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका से कपड़ा आयात होता है, जिसके ऊपर डंपिंग ड्यूटी नहीं है।...(व्यवधान) हमारे यहां जो यार्न आयात होता है, उसके ऊपर डंपिंग ड्यूटी है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please listen to me. You should not do this way. Prof. Saugata Roy, you are also a senior Member. You know it better. डिसक्शन के लिए किसी बात की मना नहीं है, but not like this.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर स्थगित नहीं होगा। It cannot be raised during the Question Hour. You know it better. Please go to your seats. Do not disturb the House during Question Hour. This is not the way. Otherwise, I will have to name you. I am sorry.

… (*Interruptions*)

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : यार्न पर डंपिंग ड्यूटी होने की वजह से हमारे कपड़े की प्रॉड्क्शन कॉस्ट बढ़ती है और निर्यात दर भी बढ़ती है।...(व्यवधान) इसलिए, हम कपड़े का निर्यात नहीं कर पाते हैं।...(व्यवधान) हमारा कपड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, जो विश्व-भर में निर्यात करने के लिए है, फिर भी हम निर्यात नहीं कर पाते हैं।...(व्यवधान) हमारा कपड़ा निर्यात हो, इसलिए विदेश से जो कपड़ा आयात होता है, उसके ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगाकर और यार्न से डंपिंग ड्यूटी हटाने के बारे में क्या हमारी सरकार सोच रही है?...(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, the hon. Member has raised an issue related to dumping duties. There is a Director-General who deals with anti-dumping. Those industries which feel that because of the imports their export possibilities are getting affected, they are welcome to give details so that the DG will conduct a proper inquiry and any duties thereof can be levied on those kinds of imports which are coming, which can damage our industry. … (*Interruptions*) So, I would definitely request the Member to make sure that the industries which perceive a certain injury do apply to the Director-General who will be able to take action on the basis of the information they give. … (*Interruptions*)

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : मैडम, 24 जुलाई से हैदराबाद में आर.सी.ई.पी. के इकोनॉमिक पार्टनरशिप का अधिवेशन हो रहा है।…(व्यवधान) इसमें 16 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें डेयरी प्रोडक्ट तथा फार्मा सेक्टर में आयात बढ़ाने के बारे में डिसक्शन होने वाली है।…(व्यवधान) हमारे देश में किसानों के जो प्रोडक्ट्स डेयरी से संबंधित हैं, फार्मा से संबंधित हैं, अगर न्यूज़ीलैंड तथा आस्ट्रेलिया से इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हमारे यहां आयात होते हैं, तो हमारे किसानों के हित को बाधा आ सकती है और हमारे किसान प्रॉब्लम में आ सकते हैं।…(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो अधिवेशन हो रहा है, क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं कि हमारे किसान अपने डेयरी प्रोडक्ट्स और फार्मा प्रोडक्ट्स का कैसे निर्यात करें?…(व्यवधान) इसके बारे में हमारे किसानों के लिए कुछ पॉलिसी लाने के बारे में क्या आप सोच रहे हैं।…(व्यवधान) अगर आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का आयात होगा, तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।…(व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? इस संबंध में मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा।…(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, the hon. Member has raised a very important issue. Yes, the negotiations on the RECP are going to be happening from today in Hyderabad. It is one of the several rounds. … (*Interruptions*) The concern that the Member has raised as regards agricultural products and dairy products which may be coming into the country, we are very conscious and we are constantly interacting with all stakeholders. … (*Interruptions*)

At this stage, there is nothing which has been agreed upon as yet. Indian farmers and Indian dairy interests, particularly and pharmaceutical interests as

with other interests, also will be kept in mind and I will certainly say this as an assurance to the House that none of our interests will be adversely affected and the negotiations are not happening without us taking our interests into consideration. … (*Interruptions*)

SHRI G. HARI : Madam Speaker, the trade deficit with China has been widening year after year. Today, import of various products from China has increased manifold. However, it is saddening to note that while India provides an open field for the Chinese products in India, many of the Indian products do not have access in the Chinese market. … (*Interruptions*)

So, I would like to know from the hon. Minister the steps proposed to be taken to reduce trade deficit with China. … (*Interruptions*) Thank you, Speaker, Madam. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Madam, the hon. Member has raised a matter, which is of serious concern. … (*Interruptions*) All of us also recognize that the trade deficit with China is a matter of concern. … (*Interruptions*) We are definitely looking at getting greater access for our products and services in the Chinese market for which negotiations are happening at various levels not just today, but since the time this Government has come into power. … (*Interruptions*) Even the Prime Minister has raised the issue with the Chinese authorities. … (*Interruptions*)

What I would like to tell the House through you, Madam, is that with China the stages are being followed as per WTO procedures/negotiations. … (*Interruptions*) It is only the time that the China consumes in granting market access or even removing non-tariff barriers is far higher than what we expect. … (*Interruptions*) As a result, in spite of us attempting to get more goods and services through to China, several non-tariff barriers on which negotiations continue and on which some agreements are reached for implementation from the Chinese side, a lot of time seems to be getting consumed in it. … (*Interruptions*) We are working on it, and we are conscious of it. … (*Interruptions*)

SHRI ARVIND SAWANT : Thank you, Madam. … (*Interruptions*) Madam, MSMEs are facing a serious problem now. … (*Interruptions*) Whatever reply is given is regarding exports, but I have written a number of letters to you also regarding copper and metal industries that are facing serious problems. … (*Interruptions*) Even cotton, loom and yarn industries are the MSMEs affected by demonetization as well as the latest decision regarding GST. … (*Interruptions*) They are coming on roads right now. … (*Interruptions*)

I have pointed out to you that finished products that are coming from other countries are duty-free whereas the raw-material that is imported by our manufacturers is being charged with duties. … (*Interruptions*) Therefore, MSMEs are suffering a lot, particularly, the metal industry. … (*Interruptions*) What action has been taken by the Government to grant relief to these people who are in the metal industry? … (*Interruptions*) Thank you so much. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Hon. Speaker, Madam, I would like to first of all specifically respond to the Member's observation that because of demonetization and GST people are on the roads. … (*Interruptions*) No, I am sorry. … (*Interruptions*) There is nothing that establishes this point. … (*Interruptions*) There is no studied information that tells us that people are on the roads because of demonetization or GST. … (*Interruptions*) I am sorry, but that may not be factually correct. … (*Interruptions*)

However, if there are issues about metal industries and MSMEs, SMEs *per se* do have a problem in getting affordable credit, and banks probably do not tailor-make their credit programmes for the small and medium industries for which, we, from the Ministry of Commerce together with Shri Kalraj Mishra, the hon. Minister dealing with MSME are working together to make sure that the banks understand the credit requirements of SMEs, particularly, of some sectors inclusive of metals and we are trying to address that issue. … (*Interruptions*) We will follow it up further too. … (*Interruptions*)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : अध्यक्ष महोदया, आज भारत से रेडीमेड गारमेंट्स निर्यात हो रहे हैं। विदेशों में हमारा सबसे ज्यादा काम्पटिशन बांग्लादेश और श्रीलंका से हो रहा है। जो पश्चिम देश हैं, वहां बांग्लादेश और श्रीलंका का कपड़ा जाता है, उन पर वे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाते हैं, क्योंकि वे मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी भी विदेशों से, पश्चिम देशों से एफटीए की बात चल रही है, ताकि हमारा जो कपड़ा वहां जाए, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी न लगे?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Madam Speaker, the hon. Member has raised some very critical issues, but there are a few things that I want to put forward before you to keep the record straight. … (*Interruptions*) If goods from Bangladesh or LDCs are preferred in some other countries, then I guess that the Member is trying to talk about the European Union. … (*Interruptions*)

In the European Union it is not because of MFN but because of GSP (General Scheme of Preferences) that their goods are preferred rather than Indian goods. There is a stipulation that if any country's export has already reached a certain threshold level, they will not get the GSP as per a certain preference but the others who need that, will get it. In my understanding, LDCs come under the GSP of the European Union; the Indian exports to European Union do not get the GSP only because they have crossed the performance threshold, which means, we are doing much better than many others in the European Union scheme of things. Therefore, Indian exports don't get qualified. It is not a negation; it is a recognition of Indian textile exports which have performed very well. However, Indian textile exports will be given further and further support from our Government.

As regards the FTA, which the hon. Member did ask, the Free Trade Negotiations with the European Union is going on rather at a slower pace. We would like to go further with a speedier note but the dates which have to be given by the European Union are yet to be given. We are ready to negotiate in a speedier fashion with the European Union.

HON. SPEAKER: Shrimati Mausam Noor – not present.

(Q. 102)

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में देश के सभी स्थानों को स्वदेश दर्शन, बौद्ध परिपथ, विरासत परिपथ तथा प्रसाद योजना के माध्यम से चिहिन्त किया है। ...(व्यवधान) हमारे मध्य प्रदेश के सभी स्थानों को उन्होंने शामिल किया है उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान) लेकिन प्रसाद योजना में 25 स्थानों का चयन हुआ है उसमें एक स्थान जहां भगवान श्रीराम ने चित्रकूट में वनवास के साढ़े ग्यारह वर्ष बिताए थे ...(व्यवधान) उस स्थान को छोड़ दिया गया है। .... (व्यवधान) जहां 84 कोसी परिक्रमा है, जहां लाखों लोग रोज आते हैं। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चित्रकूट को भी प्रसाद योजना में शामिल करें और 84 कोसी परिक्रमा के विकास के लिए मैंने उनके पास एक डीपीआर भेजा है, जो राज्य सरकार की ओर से आया हुआ है, ...(व्यवधान) मैं चाहूंगा कि वह उसकी स्वीकृति दें। धन्यवाद।

डॉ. महेश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद जो विषय सदन के सामने लाये हैं चित्रकूट को स्वदेश दर्शन योजना को रामायण सर्किट के तहत लिया गया है, ...(व्यवधान) प्रसाद योजना अभी 25 शहरों तक सीमित है, समय के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है लेकिन वर्तमान समय के अंदर चित्रकूट को हमने रामायण सर्किट के अंदर लिया है। ...(व्यवधान) स्वदेश दर्शन योजना हमारी बड़ी योजना है जिसमें 63 प्रोजेक्टों में 5,303 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। ...(व्यवधान)

मेरी सांसद महोदय से प्रार्थना है और सुझाव है कि यदि हम इसे स्वदेश दर्शन योजना में लेंगे तो यहां का विकास ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। ...(व्यवधान)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पर्यटन मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, ...(व्यवधान) स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विविध योजना शुरू किया है। ...(व्यवधान) प्रसाद योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में त्र्यम्बकेश्वर तीर्थस्थल को लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि महाराष्ट्र के पंढरपुर तीर्थ स्थल को भी विकास करने हेतु इस योजना में शामिल किया जाए। ...(व्यवधान)

आज विश्व भर में कई ऐसे देश हैं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीति और वीरगाथा को पढ़ाया जाता है। ...(व्यवधान) छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में कई ऐसे किले बनाए, बड़ी संख्या में पर्यटक वहां आते हैं, इसमें बच्चों, युवा तथा विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्वदेश दर्शन के विरासत को परिपथ योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के विभिन्न किलों को इस योजना के तहत सरकार इसे लेने का विचार कर रही है? ...(व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने दो विषय उठाए हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक, सामाजिक और पर्यटन से जुड़े महत्व के बारे में भारत सरकार संज्ञान ले रही है। हमने स्वयं ही पंढरपुर रामायण परिपथ के अंदर लिया है। …(व्यवधान) भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष योजना के तहत शिवाजी महाराज से जुड़े सभी किलों और स्मरण स्थलों को लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम शिवाजी महाराज के महत्व को देखते हुए विशेष तौर पर प्रयास कर हैं और पर्यटन, ऐतिहासिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से विकास के क्षेत्र में शिवाजी महाराज के स्मरण स्थलों को डैवलप किया जाएगा।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर प्रदेश का एक स्थल लिया है।

…(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : माननीय अध्यक्ष जी, क्या यह सच है कि पिछली अकाली सरकार, बादल सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत एक योजना भेजी थी, जिसमें श्री आनंदपुर साहब में विरासत-ए-खालसा के पीछे एक लेक बनाई जानी थी?…(व्यवधान) इसमें एंटरटेनमेंट के लिए बोटिंग होनी थी, रेस्टोरेंट बनना था और केशगढ़ साहब के सामने एक कोरिडोर बनना था और गुरु की नगरी अमृतसर में कन्वेंशन हॉल बनना था।…(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नई सरकार आई और इस सरकार ने एक नई स्कीम भेज दी जबकि पिछली सरकार द्वारा भेजी गई स्कीम की इंस्पेक्शन भी हो गई थी और प्रेजेंटेशन भी हो गया था।…(व्यवधान) मैं स्वयं माननीय मंत्री जी से मिलकर आया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनाउंस किया था कि गुरु की नगरी श्री आनंदपुर साहब को टूरिस्ट हब बनाया जाएगा। नई सरकार ने महाराजा स्कीम भेजी है। अगर महाराजा स्कीम को पास किया जाता है तो श्री आनंदपुर साहब, गुरु की नगरी अमृतसर के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। …(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप पिछली सरकार की स्कीम को पास करेंगे या नई सरकार द्वारा भेजी स्कीम को रद्द करेंगे? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस तरह से डिस्टर्ब करके कुछ नहीं होगा।

…(व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, जब भी राज्यों से स्कीम आती है तो इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसमें राज्य सरकारों को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं।…(व्यवधान) माननीय सांसद जिस स्कीम के बारे में बता रहे हैं, यह सच है कि यह स्कीम हमारे सामने आई थी, लेकिन जब हमने राज्य सरकार को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, तब राज्य सरकार अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई।

यह विषय संज्ञान में लाया गया हैं, मैं इस विषय की जानकारी लेकर माननीय सांसद को अवगत कराऊंगा।...(व्यवधान)

SHRI B. VINOD KUMAR : Madam, I have gone through the reply given by the hon. Minister. There are two Schemes – Swadesh Darshan and the PRASAD Scheme. Our State of Telangana is a new State. Under the Swadesh Darshan Scheme, the hon. Minister is kind enough to sanction a project. However, under the PRASAD Scheme, not even a single project has been granted to the State of Telangana for the last three years.

Madam, Vemulawada is known as *Dakshin Kashi.* It is a pilgrimage centre worth seeing. Many pilgrims visit Vemulawada Temple. In Karimnagar District, there are two pilgrimage centres. One is in Dharmapuri, which is a *Vaishnav* Temple. The officials concerned from the State Government have already sent a proposal to be granted by the Ministry under the Scheme. However, till today, no action has been initiated. I had met the hon. Minister personally twice. I would request the hon. Minister to promise me in this House once again about the project under the PRASAD Scheme so that the people of Telangana feel happy about it.

DR. MAHESH SHARMA: Under Swadesh Darshan Scheme, I understand the concern of the hon. Member that for Telangana, being a new State, tourism is important and, especially, the spiritual tourism. We, in the Government of India, are concerned about developing tourism in this newly developed State of Telangana for which three projects under Swadesh Darshan Scheme worth about Rs. 275.44 crore have already been sanctioned and the work has already started under these two schemes.

PRASAD Scheme is mainly for spiritual cities. Till now, twenty five cities have been identified as spiritual cities. It is a continuous process; it also depends on the availability of funds and on the request of the State Government. The hon. Member has already met me in this connection and, definitely, we will try to consider it in the next meeting.

(Q. 103)

DR. RATNA DE (NAG) : Madam, as per the reply given by the hon. Minister, employees of the Jawahar Navodaya Vidyalaya should opt for either New Pension Scheme or Contributory Provident Fund. But there are many employees who had joined on deputation from the pensionable department and were absorbed subsequently. They had opted for 1972 Government of India pension scheme in their parent department much before 1986. Such employees deserve old pension scheme and the same should be sanctioned by the hon. Minister. Where will these employees go? They are affected and their genuine demands should be taken care of.

Madam, would the hon. Minister respond to the specific question since it affects a significant number of employees who have joined on deputation from the pensionable department and later absorbed by the Jawahar Navodaya Vidyalaya?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : अध्यक्ष महोदया, पेंशन के संबंध में स्कीम लागू है, क्योंकि 1.1.1986 से सीसीएस पैंशन रूल्स 1972 इफैक्टिव होता है। उस समय सोसायटी एक्ट के तहत एन.वि.एस. का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। इसका रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी, 1986 को हुआ, जिस वजह से वहां पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू नहीं हो पायी। इससे प्रभावित होने वाले स्टॉफ की संख्या लगभग 11 हजार के आसपास है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, मैंने बोला है कि क्वश्चेन ऑवर के बाद आप अपनी बात रखिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You please speak after the Question Hour. This is not the way. Please go to your seat. I am sorry.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि यह आप सबके बनाये हुए नियम हैं कि क्वश्चेन ऑवर डिस्टर्ब नहीं होगा। स्थगन प्रस्ताव पर भी बाद में चर्चा होगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जो भी चर्चा चाहते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। आप चाहे नियम 193 का नोटिस दें या बाकी नोटिसेज दें, सब पर चर्चा हो सकती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, मैं आपको बोलने के लिए मना नहीं कर रही हूं, मगर आप इस तरीके से डिस्टर्ब मत कीजिए। आप जो भी विषय उठाना चाहते हैं, वह अभी न उठाकर क्वश्चेन ऑवर के बाद उठाइये।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर रोज एक नया विषय लेकर हाउस को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है।

…(व्यवधान)

DR. RATNA DE (NAG) : Madam, I would like to know from the hon. Minister as to what is the sanctioned strength and actual strength of the principals and vice principals of the schools.

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: मैडम, स्कूल्स में प्रिंसिपल्स की सैंक्शन्ड पोस्ट्स 591 हैं, वाइस-प्रिंसिपल्स की 462, पीजीटी की 4664 और टीजीटी की 5367 सैंक्शन्ड पोस्ट्स हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव : अध्यक्ष महोदया, नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्रों, जिनके माता-पिता गरीब हैं, वैसे भी गांवों में अधिकांश गरीब लोग ही रहते हैं, के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। अभी सिर्फ जिला स्तर पर एक नवोदय विद्यालय होता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत, इस योजना को ब्लॉक लेवल तक ले जाकर, हर ब्लॉक में एक नवोदय विद्यालय खोलने की किसी योजना पर विचार कर रही है?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: मैडम, आज की तारीख में जो हमारी पॉलिसी है, उसके तहत सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। देश भर के तमाम जिलों में इस योजना को हमने लागू किया है और किसी भी जिले को नहीं छोड़ा गया है। इसी पॉलिसी के आधार पर हम अभी नए केन्द्रीय विद्यालय बनाते हैं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की पेंशन लाभ के साथ-साथ ही, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन में ओबीसी वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार इस पर जल्द विचार करना चाहती है?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: मैडम, नवोदय विद्यालयों के लिए छात्रों के नामांकन में एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गयी है। हमारा मंत्रालय इस बात से सहमत है कि ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए और हम इस पर विचार कर रहे हैं।

(Q. 104)

श्री गोपाल शेट्टी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है। मैं निर्मला सीतारमण जी एवं बाकी सभी मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनन्दन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मीडियम एवं स्मॉल इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री में कुल मिलाकर 24 स्कीम्स पर काम हो रहा है। उनमें से प्राइम मिनिस्टर इम्प्लायमेंट जेनरेशन प्रोग्राम से लेकर डिजिटल एमएसएमई स्कीम तक कुल 24 स्कीम्स हैं। इन 24 स्कीम्स में से चार स्कीम्स - नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स हब, नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पिटिटिव प्रोग्राम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन राष्ट्र या नेशन के नाम पर हैं। हम सभी देखते हैं कि आजादी पश्चात् हमारे देश के नाम पर जो कंपनियां खुली थीं, धीरे-धीरे वे सभी बन्द होती जा रही हैं। आजादी के समय पर भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत गैस, भारत ब्लेड आदि कंपनीज के नाम हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों में फॉरेन कंपनीज के नाम से हमारे देश में कंपनीज खुल रही हैं। मैं मानता हूं कि भारी उद्योग में एफडीआई की इनवाल्वमेंट होती है, इसलिए वे अपना नाम रखते हैं, लेकिन अपने देश के लोग भी हिन्दुस्तान या भारत नाम से कोई फैक्टरी खोलने से अभी वंचित होते हैं। क्या आने वाले दिनों में अपने देश की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भारत और हिन्दुस्तान नाम से खोलने का प्रयास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा?

श्री गिरिराज सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने अपनी भावना को रखा है और यह भी कहा है कि 24 योजनाएं चल रही हैं। यह बात सही है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय देश में सब्सिडी एवं अन्य लाभ प्रदान करने वाली 24 स्कीम्स चला रहा है। माननीय सदस्य ने कहा है कि क्या विभाग हिन्दुस्तान के नाम से कोई कंपनी खोलेगा, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा विभाग कहीं कोई उद्योग नहीं खोलता है। हम इन 24 योजनाओं एवं अन्य कई योजनाओं के माध्यम से उद्यमियों को सपोर्ट करते हैं और उनको इंट्रेस्ट सब्सिडी आदि लाभ देते हैं। हम उनको डिजीटल सपोर्ट देते हैं, हम उनको टैक्नोलॉजी सपोर्ट देते हैं, लेकिन हम उद्योग नहीं खोलते हैं।

श्री गोपाल शेट्टी : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा उद्योग खोलने का आग्रह नहीं था, लेकिन जो उद्योग खोलते हैं, उनको हम प्रेरित करें कि हिन्दुस्तान और भारत इस नाम से अगर कोई कंपनी का नाम है, यह मेरा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन दिनों मुम्बई जैसे शहर में जो टैक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, ये 36 में से 24 बंद हो गई हैं। एक समय ऐसा था कि सिटी एरिया में बिजली और पानी की सुविधा होती थी, इसलिए सारी टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज शहरों में खुली हैं, लेकिन इन दिनों में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और पीयूष गोयल जी ने इतना अच्छा काम किया है कि रूरल एरिया में बिजली अभी उपलब्ध है।

क्या आने वाले दिनों में सरकार के माध्यम से ग्रामीण भागों में अगर हम टैक्सटाइल और हैंडलूम जैसी इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तो बेरोजगारों को रोजगार बड़े पैमाने पर मिल सकता है? क्या सरकार आने वाले दिनों में इस दिशा में काम करेगी?

श्री गिरिराज सिंह : अध्यक्ष महोदया, वैसे यह टैक्सटाइल से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को हम प्रमुखता दे रहे हैं।

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में क्या जीएसटी के आने से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को राहत मिलेगी और इससे उनके व्यापार वृद्धि में आने वाले दिनों में क्या-क्या लाभ और फायदे होंगे? मेरा उनसे एक और सवाल यह है कि प्रधान मंत्री रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात राज्य में और क्या-क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, यह भी मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री गिरिराज सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ज्वलंत विषय जी.एस.टी. पर उठाया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि एम.एस.ई. विभाग जितने उद्योग संघों के साथ बात कर रहा है और जो कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों को लेकर हम जी.एस.टी. काउंसिल के साथ, वित्त मंत्रालय के साथ सम्पर्क में हैं। मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे वित्त मंत्री जी का और जी.एस.टी. काउंसिल का यह संकल्प है कि हम उद्यमियों के लिए यह जी.एस.टी. लाए हैं, जी.एस.टी. के लिए उद्यम नहीं। इसलिए आप भरोसा रखें।

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN : Hon. Speaker Madam, the hon. Minister has mentioned 24 items for financial assistance. I would like to mention here that thousands of societies from all over India, including Odisha, have applied to Khadi Commission for financial assistance under Khadi Reform and Development Programme. Some of the applications have been accepted by Khadi Commission, Mumbai but not a single rupee of assistance has been given to the units of Odisha Khadi Board. My question to the hon. Minister is how many societies have been registered by Khadi Commission from Odisha, and among them how many units have been financed.

श्री गिरिराज सिंह : माननीय सदस्य ने दो विषय रखे हैं। एक विषय यह है कि ओडिशा से कितने अनुबंधित/रजिस्टर्ड हुए हैं। मैं इनको पूरी जानकारी दे दूंगा। जहां तक के.आर.डी.पी. का सवाल है, अगर किसी लंबित संस्था का है तो व्यक्तिगत दें, मैं उसे दिखवा लूंगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अनन्त कुमार जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए।

...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा हमारे विपक्ष के नेता माननीय खड़गे जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा। यानी हमारे जो विपक्ष के सांसद अभी वैल में बैठे हैं, वे कृपया करके अपने स्थान पर चले जाएं और प्रश्नकाल में जैसे हम सबने मिलकर तय किया था, उसमें भाग लें। कई बार मैं इस सदन में कह चुका हूं, हर विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। हम तैयार रहेंगे। हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। किसी विषय से हम मुकर नहीं रहे हैं, लेकिन वे भी जानते हैं कि आपकी अध्यक्षता में बी.ए.सी. की बैठक में हम समय तय करते हैं। पिछली बार भी कृषि संकट के बारे में, किसानों के विषय के बारे में हमने चर्चा की थी, आने वाले सप्ताह में हम इस विषय को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। एक बार और मैं अपने विपक्ष के सभी माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा कि वे प्रश्नकाल चलने दें। सभी माननीय सदस्य, हमारे साथी वहां से उठकर, अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे चर्चा ही नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, ऐसा नहीं है। चर्चा क्यों नहीं हम चाहते? हम चर्चा चाहते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अगर आप चर्चा चाहते हैं, मैंने बोला है कि प्रश्नकाल के बाद मैं आपको एलाऊ करूंगी, मगर या तो आप चर्चा नहीं चाहते हैं, केवल हल्ला चाहते हैं, नियम आपका बनाया हुआ है। यह आज का विषय नहीं है। I am sorry. यह रोज ही होगा। मैं ऐसे एलाऊ नहीं करूंगी। I will not allow like this.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने शुरु में ही कहा है कि प्रश्नकाल के बाद मैं एलाऊ करूंगी। आप ऐसे प्रश्नकाल में इस विषय को उठाना चाहते हैं। I will not allow like this.

...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम लोग बिहार से आते हैं। बिहार के ग्रामीण इलाके में जो छोटे-छोटे उद्योग चल रहे थे, चाहे सूत कातने वाला उद्योग हो, चाहे कपड़ा बुनने वाला उद्योग हो, ये उद्योग पूरी तरह से समाप्त हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि

क्या छोटे-छोटे उद्यमियों के लिए आप चर्चा करवाएंगे? जो कपड़ा बुनने वाला है, क्या उसको रोजगार प्रदान करने का कोई अवसर सरकार प्रदान करेगी?

श्री गिरिराज सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, हमारा सतत प्रयास है और एक के.आर.डी.पी. योजना है जिसमें जो चुनिंदा खादी संस्थान हैं, उन खादी संस्थानों को हमने बिहार में भी दिया है और आगे भी देंगे।

(Q. 105)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपना उत्तर दिया है। मैं इस बात के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय संस्थानों की सहायता हेतु ज्ञान का वैश्विक नैटवर्क उन्होंने स्थापित किया है। इतना ही नहीं, जो यू.जी.सी. और आई.टी.सी. है, इसमें भी व्यापक सुधार की दिशा में उन्होंने कदम उठाये हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका नेचर यंग वॉयर ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध के गिरते स्तर पर भारी चिंता व्यक्त की है और ब्राजील हो या चीन हो या अमेरिका हो, तमाम उद्योग जो वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत आगे हैं, अपनी जी.डी.पी. का दो प्रतिशत से भी अधिक व्यय करते हैं जबकि आज हम इस अनुसंधान के क्षेत्र में मात्र 0.8 प्रतिशत ही व्यय करते हैं। दूसरी ओर पिछले दस साल में अमेरिका में जो हमारे इंजीनियर्स और वैज्ञानिक गये हैं, उनकी संख्या में 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों का पलायन रोकने और भारत में ही उन्हें अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है क्योंकि भारत के जो पौराणिक ग्रन्थ जिनमें ज्ञान और विज्ञान समाहित है, वे इसी से जुड़े हैं। उस क्षेत्र में भी कोई अलग से शोध संस्थान स्थापित करने की दिशा में क्या कोई विशेष योजना बनाई गई है जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद हैं और आयुर्वेद की धरती जो उत्तराखंड है, जो दुनिया …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पोखरियाल जी, आप जरा प्रश्न पूछना सीखिए। आप समझदार हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप समझदार हैं, छोटा प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि किसी भी देश की समृद्धि, शोध और अनुसंधान की कितनी क्षमता है, उस पर ही निर्भर करती है।…(व्यवधान) जितने शोध ज्यादा होंगे, research and innovation are key to the development of any country and, therefore, we have taken many steps in this regard. We have recently launched the Higher Education Financing Agency which is going to finance top educational institutes including the Central Universities. Within the next three years, three billion dollars, आने वाले तीन सालों में हम 20,000 करोड़ रुपये लगायेंगे, जिससे रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मूलतः अच्छा हो।…(व्यवधान)

दूसरा, आपने ज्ञान का उल्लेख किया है, ज्ञान के मार्फत 600 प्राध्यापक यहां आये और कोर्सेज कंडक्ट किये।...(व्यवधान) छात्रों को लाभ हुआ और प्राध्यापकों के भी विचार का आदान-प्रदान हुआ। ...(व्यवधान) फिर रिसर्च पार्ट्स तैयार किये हैं, इनक्यूबेशन सेंटर्स तैयार किये हैं, स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन दिया है और मुझे खुशी है कि उच्च शिक्षण संस्था में आज 600 स्टार्ट-अप केवल हॉस्टल रूम्स से शुरू किये हुए हैं, यह उसका परिणाम है।...(व्यवधान) एक 'इम्प्रिंट स्कीम' तैयार की गयी है। ...(व्यवधान) 'इम्प्रिंट स्कीम' के तहत सरकार पैसा दे रही है और 200 प्रोजैक्ट्स, सभी विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा दिये गये प्रपोजल्स को छान कर 200 प्रपोजल्स अंतिम रूप से चुने गये हैं, उसके लिए भी पैसा दे रहे हैं।...(व्यवधान) हम पूरी तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी, अभी मैं चीन में था तब ब्रिक्स देशों का एक इंटर यूनिवर्सिटी नेटवर्क हर देश के 12 विश्वविद्यालय, ऐसे 60 विश्वविद्यालय का एक नेटवर्क भी अब सुचारू रूप से काम करने लगा है। ...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ज्ञान और विज्ञान का केन्द्र जो वेद, पुराण और उपनिषदों का जन्मदाता उत्तराखंड है, उस दिशा में अलग से कोई शोध संस्थान की स्थापना करने का विषय है, यदि वह है तो क्या है और यदि वह नहीं है तो क्यों नहीं है? ...(व्यवधान) वह कब तक होगा? ...(व्यवधान)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam, this is a suggestion for action.

PROF. SUGATA BOSE : Madam Speaker, I hope you will allow the Opposition to speak at twelve o'clock. On that assurance I am asking the supplementary.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have already given them that assurance but not in this way.

… (*Interruptions*)

PROF. SUGATA BOSE : Madam, a year ago the Central Government had announced that they would set up 20 world class research and teaching institutions but we still do not have a legal architecture for them. We have heard that the HRD Minister took a proposal to the Cabinet on 7th June but it has not yet been accepted. An informal GoM has been set up. We have read reports that the GoM has expressed concerns about the proposal which will allow 30 per cent foreign faculty and 30 per cent foreign students in these world class research institutions. That should not be a problem for reservation. Since I am an Indian citizen teaching in a foreign university, I do not count in the statistics of affirmative action. So,

will the HRD Minister take the House into confidence as to when the final proposal will be taken to the Cabinet, whether top academics are being consulted and whether we can expect before the end of this Monsoon Session that we will have an architectural legal framework for the 20 world class research and teaching institutions?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam, I am very happy that an academician and a professor of eminence, who is teaching in the universities of the world, is asking this question and I welcome it. The guidelines are ready. The proposal is in final shape. As he has asked, whether it will be okayed before the end of the Monsoon Session, I wish to say that I am very hopeful and very sure that this proposal will get the final nod. It will pave the way for real research and innovation. That is the way the world has grown. We need to grow. Today we have the concept of learning in diversity. Students from many countries come together, learn and do research together. Professors from different countries also join them. Foreign professors as well as Indian professors will make these world class institutes really world class. We will be calling them the Indian Institutes of Eminence. But, after ten years, they are supposed to get that world class status. They will be acclaimed and ranked among the top 200 universities in the world.

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, हर साल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 40 हजार पीएचडी तैयार होते हैं, लेकिन हमारे देश का दुनिया में नॉलेज कंट्रीब्यूशन 0.02 परसेंट है। मैं माननीय मंत्री जी के प्रयत्नों का अभिनन्दन करता हूं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया में जितने इनोवेशन, डिसकवरीज हुई हैं, उसमें 82 परसेंट 35 साल की उम्र से कम यंग माइंड ने की हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रिसर्च के लिए फंड में जो पैसा दिया जाता है, क्या उसमें से यंग साइंटिस्ट्स के लिए, यंग एकेडेमिक्स के लिए कम से कम 50 प्रतिशत फंड रिजर्व ईयर मार्क करेंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मैं कहना चाहता हूं कि रिसर्च के लिए और खास कर युवा वर्ग को नए आइडियाज़ के साथ कि वे इंडस्ट्री के कस्टेमाइज रिक्वेस्ट पर काम करें, एक इंडस्ट्री एकेडमिया सर्वत्र स्थापित हो, उसके लिए उच्चतर आविष्कार योजना शुरू की है। उसी के तहत इनप्रिंट योजना भी शुरू की है। कोई भी हो, चाहे वह प्रोफेसर

न भी हो, लेकिन प्रोफेशनल हो, वह भी अपनी रिसर्च की प्रपोजल दे सकता है। उसे भी हम फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि it is an age of power of idea और वह पॉवर आफ आइडियाज़ नर्चर करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, वह सहायता सरकार करेगी।

SHRI PREM DAS RAI : Madam, thank you for giving me this opportunity. Madam, through you, I would like to ask the hon. Minister as to what is the level of research that is being done in the area of cyber security. Today, if there is one challenge that our country and the world is facing, it is in the area of cyber security. We would like to understand from the hon. Minister if there is any process that has been put into place to do cutting-edge and leading research in this particular field.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam, as Shri P.D. Rai has asked, cyber security is a very essential aspect of today's security and in that, I am very glad to tell you that many universities have started and we are promoting research on cyber security more particularly, in IITs and IIITs. It is because these are the special institutions where the information technology, matters related to cyber security and all other aspects are being dealt with. There is a thrust to that research and we will take it to the next level because every country needs to upgrade its cyber security. India is also committed to provide top cyber security to its people and to its establishments.

श्री दुष्यंत सिंह: महोदया, अभी देश के प्रधानमंत्री इज़्राइल गए थे। मैं राजस्थान से आता हूं। यहां 40 ज्वायंट्स रिसर्च के बारे में बताया गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खेती के विषय में एग्रीकल्चर विभाग में रिसर्च करके Are we developing new techniques which will help the farmers to grow better crops and also to give a better yield in dairy and in agricultural produce in various universities of our country?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, दो सप्ताह पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंसिस, बैंगलुरू में था। वहां नैनो टैक्नोलॉजी का रिसर्च सैंटर 250 करोड़ रुपयों में इस्टैब्लिश किया गया है। वहां जो छात्र पोस्टडाक्टोरल रिसर्च कर रहे हैं, मैंने उनसे बात की थी। मैंने उन सभी के प्रोजेक्ट्स भी देखे। मुझे खुशी हुई कि बहुत लोग एग्रीकल्चर और डेयरी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नैनो टैक्नोलॉजी का कैसा उपयोग

कर सकते हैं। इसके अलावा और भी रिसर्च हो रही हैं जैसे जेएनयू में पैरासाइट डिजीजेज में बहुत अच्छी रिसर्च हुई, दिल्ली यूनीवर्सिटी में टीबी पर अर्ली डायग्नोस्टिक किट तैयार की गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में सेफ गार्डिंग वॉटर रिसोर्सिंस में बहुत अच्छा काम किया है। बनारस यूनीवर्सिटी में कालाज़ार का ट्रीटमेंट तैयार किया है और त्रिपुरा यूनीवर्सिटी में वेस्ट मैनेजमेंट पर अच्छा काम किया है और यहां भी अच्छे काम हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर।

…(व्यवधान)

(Q.106)

माननीय अध्यक्ष : आपका काम अच्छा है, इसलिए कोई सप्लीमेंटरी नहीं है।

…(व्यवधान)

(Q. 107)

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने विस्तृत रूप से जवाब दिया है। ...(व्यवधान) लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से जो इंफॉर्मेशन आयी है, वह कम्प्लीट नहीं है। ...(व्यवधान) वहाँ से जवाब आया है कि इसके बारे में कोई सूचना नहीं है क्योंकि माइनिंग और खानों के कारण आसपास के लोग बीमार होते हैं और उनका इलाज भी नहीं हो पाता है। ...(व्यवधान) उनकी जाँच के लिए पाँच साल और तीन साल का समय रखा गया है। ...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्या उन लोगों की जाँच हर साल हो सकती है? यदि नहीं हो सकती है, तो क्यों? ...(व्यवधान)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदया, सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि माइंस या फैक्ट्रीज में कामगारों की जाँच के लिए डिजीजेज़ को नोटिफाई किया गया है। ...(व्यवधान) इसमें दो प्रकार के कामगार हैं। एक माइंस के कामगार हैं और दूसरे फैक्ट्रीज़ के कामगार हैं। ...(व्यवधान) माइंस के अंदर डीजीएमएस रहते हैं, समय-समय पर ग्रेड्स को फ्रेम किया गया है, वे उसकी देखभाल करते हैं। हमारा जो नियम बना है, किसी भी राज्य सरकार को उसका पालन करना पड़ता है। उसे राज्य सरकार की इंफोर्समेंट एजेंसी करती है। ...(व्यवधान) कामगारों की नियुक्ति करने के बाद उनके हेल्थ कंडिशन की जाँच पाँच साल में एक बार की जाती है। ...(व्यवधान) उसके बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट करके हम उसे आगे चलाने का काम करेंगे। ...(व्यवधान) लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता सेफ्टी और हेल्थ की है। हम उसके बारे में प्रतिबद्ध हैं। ...(व्यवधान) इसमें हाई-टेक अप्रोच के लिए हम टैक्नोलॉजी को कंडक्ट कर रहे हैं और उसका प्रमोशन कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

अभी हम लोगों ने काफी मेडिकल कैम्प्स लगवाये हैं। ...(व्यवधान) हमारी तरफ से और राज्य सरकरों की ओर से मजदूरों की हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए उनको कैम्प्स के बारे में सूचित किया जाता है।...(व्यवधान)

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र में भिवानी के आसपास जितने गांव हैं, उनमें भी बीमारी फैले हुए हैं। ...(व्यवधान) वहाँ पर रहने वाले मजदूरों का बुरा हाल है। भिवानी, दादरी आदि आठ-दस गांवों में बहुत बुरा हाल है, क्या मंत्री जी इस संबंध में वहां भी कोई सुधार करेंगे? ...(व्यवधान)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : मैडम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि माइंस में डीजीएमएस होते हैं। हम रेगुलेशंस और प्रौपर वर्किंग कंडिशंस को सही करेंगे। ...(व्यवधान) उसमें जहाँ-जहाँ जो भी कमी पायी जाती है, उसके लिए इंस्पेक्शन की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया है, ...(व्यवधान) उसके तहत राज्य सरकरों से सिलिकोसिस डिजीज़ के बारे में रिपोर्ट मांगी गयी है। राज्य सरकरों ने रिपोर्ट दे दी है।

...(व्यवधान) लेकिन हमारी ओर से जो सर्वे करना था, वह किया है, उसे हमने सुप्रीम कोर्ट को भी सब्मिट किया है। ...(व्यवधान) आगे चलकर जो सात राज्य हैं, उसमें हरियाणा भी है। हमने अपनी रिपोर्ट में उसके बारे में भी सब्मिट किया है। ...(व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952 में व्यक्तियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और कल्याण की बात की जाती है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि राजस्थान में सिलिकोसिस के 96 मामलों की पहचान की गई है। मैं झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराट्र की बात कहना चाहूँगा। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूँगा कि डी.जी.एम.एस. द्वारा इन राज्यों में सर्वे करवाकर वहाँ पर कार्यरत श्रमिकों के दमा, श्वास, ह्रदय रोग, बहरापन और कैंसर के कितने मामले चिन्हित हुए हैं? कोयला खानों में जो मजदूर काम करते हैं, उनके लिए वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की इस कमी के कारण बहुत से मजदूर ह्रदय रोग से पीड़ित होते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि इन स्थानों पर डी.जी.एम.एस. द्वारा किए गए सर्वे में जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उनमें इस प्रकार के कितने मामले चिन्हित हुए हैं और इन मामलों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : मैडम, माननीय सदस्य ने बिहार एवं अन्य राज्यों में ऑक्यूपेशनल डिज़ीज़ के बारे में प्रश्न पूछा है। हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट माँगी हुई है। इस रिपोर्ट में बिहार और दूसरे राज्यों की इंफौर्मेशन है। इसमें कैंसर की इंफौर्मेशन भी आई है और हमने उन राज्यों को भी सूचित किया है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आदेश से केंद्र सरकार की तरफ से जन सुरक्षा अभियान मोबाइल वैन्स के रूप में सारी खदानों और फैक्ट्रीज़ में चलाएंगे। हमने जिन दो राज्यों की रिपोर्ट माँगी है, उसमें उन्हें 'निल' की रिपोर्ट दी है।

12.00 hours

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from some Members on different issues. The matters though important do not warrant interruption of Business of the Day. The matters can be raised through other opportunities. Therefore, I have disallowed all the notices of Adjournment Motion.

12.01 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, papers to be laid on the Table.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं, श्री कलराज मिश्र की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7131/16/17]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) : मैं नेशनल शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-2018 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 7132/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Employees' Provident Fund Organisation, New Delhi, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7133/16/17]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952:-

(i) The Employees' Provident Funds (Fourth Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.351(E) in Gazette of India dated 12th April, 2017.

(ii) The Employees' Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.404(E) in Gazette of India dated 25th April, 2017.

(iii) The Employees' Provident Funds (Sixth Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.436(E) in Gazette of India dated 4th May, 2017.

(iv) The Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.437(E) in Gazette of India dated 4th May, 2017.

(v) The Employees' Deposit-Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.438(E) in Gazette of India dated 4th May, 2017.

(vi) G.S.R.604(E) published in Gazette of India dated 16th June, 2016 seeking to rescind Notification No. G.S.R.158(E) dated 10th February, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7134/16/17]

(4) A copy of the Notification No. S.O.1955(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 20th June, 2017 making certain amendments in the first schedule of the Industrial Disputes Act, 1947 issed under sub-section (1) of Section 40 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 7135/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Notification No. S.O.1358(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28th April, 2017, regarding making Aadhaar mandatory for availing benefit under direct Benefit Transfer in PDS Kerosene Scheme under sub-section (2) of Section 58 of the Aadhaar (targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7136/16/17]

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Balmer Lawrie and Company Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7137/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 427(E) in Gazette of India dated 2nd May, 2017 under sub-section (2) of Section 28 of the Boilers Act, 1923.

[Placed in Library, See No. LT 7138/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (DR. MAHESH SHARMA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7139/16/17]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Asiatic Society, Kolkata, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Asiatic Society, Kolkata, for the year 2015-2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7140/16/17]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Himalayan Culture Studies, Dahung, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Himalayan Culture Studies, Dahung, for the year 2015-2016.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 7141/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANACE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of Notification No. G.S.R.797(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 30th June, 2017, together with an explanatory memorandum seeking to increase the basic customs duty on the goods, mentioned therein, from NIL to 10 by amending the Statutory rate under the provisions of Section 8A of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-section (7) of Section 9A of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 7142/16/17]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.798(E) published in Gazette of India dated 30th June, 2017, together with an explanatory memorandum seeking to (a) increase basic customs duty from NIL to 10% on specified parts of cellular mobile phones (i) Microphone Rubber Case and Sensor Rubber Case/Sealing Gasket including sealing gaskets/cases from Rubbers like SBR, EPDM, CR, CS, Silicone and all other individual rubbers or combination/combination of rubbers falling under tariff item 4016 99 90; (ii) Screw falling under tariff item 7318 15 00; (iii) SIM socket/other Mechanical items of Metal falling under tariff item 7326 90 99] for use in manufacture of cellular mobile phones; (b) continue exemption from BCD on specified parts, Camera Module, Connectors, Display Assembly, Touch Panel/Cover Glass Assembly, Vibrator Motor/Ringer), their inputs

or sub-parts for use in manufacture of cellular mobile phones; (c) continue exemption for BCD on telephones for other wireless networks, other than cellular networks; (d) continue exemption from BCD on parts (8517 70 90) of electronic goods (other than cellular mobile phones) and inputs or sub-parts for manufacture of these parts; (e) continue 'NIL' BCD on inputs or raw materials for parts of cellular mobile phones used in manufacture of cellular mobile phones; and (f) provide 'NIL' BCD on inputs or raw materials for use in manufacture of electronic goods falling under tariff items 8443 32 90, 8443 99 51, 8443 99 52, 8443 99 53, 8517 61 00, 8517 62 90 and 8517 69 90.

(ii) G.S.R.799(E) published in Gazette of India dated 30th June, 2017, together with an explanatory memorandum together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 24/2005-Cus., dated 1st March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 7143/16/17]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) सिक्किम सर्व शिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिक्किम सर्व शिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7144/16/17]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7145/16/17]

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7146/16/17]

(तीन) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7147/16/17]

(चार) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7148/16/17]

(पांच) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2017-18 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7149/16/17]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7150/16/17]

(3) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4)उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7151/16/17]

(5) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 34-एआईसीटीई/एआर/एंटी रैगिंग/2016 जो 22 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों में रैगिंग का निवारण और प्रतिषेध विनियम, 2009 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7152/16/17]

12.04 hours

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Strategic sale of Government of India's existing 51.11% of total paid up equity shareholding in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) to Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) alongwith transfer of management control.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Madam, Speaker, I am making this statement regarding strategic sale of the Government of India's existing 51.11 per cent of total paid up equity shareholding in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) to Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) alongwith transfer of management control.

Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in its meeting held on 19th July, 2017 has given `in principle' approval for strategic sale of the Government of India's existing 51.11 per cent of total paid up equity shareholding in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) to Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) along with transfer of management control.

The proposed acquisition in the oil sector will create a vertically integrated public sector 'Oil Major' company having presence across the entire value chain. This will give ONGC an enhanced capacity to bear higher risks, take higher investment decisions and to neutralize the impact of global crude oil price volatility. The acquisition of HPCL by ONGC will result in significant synergies, in terms of optimization of logistics costs, R&D activities, economies of scale of purchase of crude oil and optimization in refinery operations.

For overseeing this transaction, CCEA approved setting up of an Alternative Mechanism, headed by the Finance Minister, which will help in taking quick decision with regard to the timing, price, terms and conditions and other related issues to the transaction.

Post-acquisition by ONGC, HPCL will continue to be a Central Government Public Sector Enterprises (PSE), having become a subsidiary of ONGC. It can still maintain its cultural uniqueness and brand identity, distinct from ONGC.

[Placed in Library, See No. LT 7153/16/17]

12.05 ½ hours

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 29th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Ministry of Steel*

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : महोदया, मैं इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7154/16/17.

12.06 hours

GOVERNMENT BILLS - Introduced
(i) Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY):
I beg to move for leave to introduce a Bill further to amending the Banking Regulation Act, 1949.

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949."

सौगत राय जी, आप इंट्रोडक्शन पर कुछ कहना चाहते हैं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, under rule 72(1), I oppose the introduction of the Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017. This is a desperate step by a desperate Government. When the banks have reached a stressed asset of Rs. 9.64 lakh crore, the RBI is now being given the power to refer matters relating to stressed assets to Insolvency and Bankruptcy Board.

Earlier also, the RBI had the power to regulate the banks but they have totally failed in their action and it is the same RBI, from demonetization till now, has not been able to count the old notes that were deposited with them.

Madam, giving this power to RBI will take away or detract from its regulatory powers and macro economic responsibilities and involve the RBI in micro economic matters. And it will render the banks management useless without any work. That is why, I have also opposed the Ordinance as there is no urgency in the matter. NPAs have been rising in this country for a long time.

So, I want this Bill to be referred to the Standing Committee on Finance.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-2, dated-24/7/17.

SHRI ARUN JAITLEY: None of the objections raised by Prof. Saugata Roy relates to the introduction. They relate to the subject matter on merit and when it comes up for discussion, we can deal with them.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Banking Regulation Act, 1949."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: I introduce the Bill.

12.07 hours

STATEMENT RE: BANKING REGULATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2017*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 (No. 1 of 2017).

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7155/16/17.

12.09 hours

GOVERNMENT BILLS - INTRODUCED.....contd.
(ii) Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): On behalf of my senior colleague, Shri Nitin Jairam Gadkari, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Central Road Fund Act, 2000.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Central Road Fund Act, 2000."

The motion was adopted.

SHRI PON RADHAKRISHNAN: I introduce the Bill.

12.10 hours

(At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members went back to their seats.)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated-24/07/17.

HON. SPEAKER: Now, the House will take up 'Zero Hour'.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले इनको जगह पर जाने के लिए बोलो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ज्यादा मत बोलो, चुपचाप अपनी सीटों पर जाओ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सबको जितना बोलना है, बोलिये।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भी बोलने का समय दूंगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ, आप यह क्या कर रहे हो?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, you will also get time.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बोलिये।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, यह क्या हो रहा है,….* यह क्या है?…(व्यवधान) ….* हमको बैठा सकते हैं।

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

*…(Interruptions)…**

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हमारी बात नहीं सुन सकते, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, यह क्या है?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको शिकायत है, मैं क्या कर सकती हूं।

…(व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : जितना आपका हक है, उतना उनका भी हक है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, हमने जो एडजर्नमैन्ट मोशन मूव किया है, वह रूल्स 56 और 57 के तहत किया है। रूल्स के मुताबिक ही हमने आपके सामने यह पेश किया है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ...*

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहां कहा है?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह प्रश्न उन्होंने पूछा है। रूल्स के तहत ही हमने नोटिस दिया है। I hereby give notice of my intention to ask for leave to move a motion for the adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent importance.

माननीय अध्यक्ष : किसी ने रूल के बारे में नहीं बोला है, एडजर्नमैंट मोशन आपने ही दिया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह रूल है और इसमें मैंने आपसे यही निवेदन किया है।

माननीय अध्यक्ष : मैंने एडजर्नमैंट मोशन अलाऊ नहीं किया है।

---

* Not recorded

12.11 hours

SUBMISSION BY MEMBERS
Re: Reported attacks by cow vigilant groups across the country

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : पूरे देश में अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों और कमजोर वर्ग पर गौहत्या के नाम पर और अन्य बहानों से अत्याचार और भीड़ द्वारा हत्या और लिंचिंग की घटनाएं बार-बार हो रही हैं, जिनके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक, दलित, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को एक भय और आतंक के वातावरण में रहना पड़ रहा है। यह सरकार ऐसी बर्बर और शर्मनाक हत्याओं को रोकने में पूरी तरह असफल हो गई है। ...(व्यवधान) हम सदन में चर्चा के साथ-साथ यह मांग करते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने तीन बार यह कहा कि गौरक्षक लोग गुंडे हैं, इनको रोकना पड़ता है,...(व्यवधान) इन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे ...(व्यवधान) लेकिन आज तक कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया। इसीलिए इस पर चर्चा के लिए आप परमीशन दीजिए। उसमें प्राइम मिनिस्टर यहां मौजूद रहें, होम मिनिस्टर यहां मौजूद रहें और हमारी पूरी बात सुनें। मैं आपसे अपील करता हूं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात पूरी हो गई, आप नोटिस दे दीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर आपने इजाजत दी तो...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप चर्चा के लिए नोटिस दे दो। क्योंकि मैंने एडजर्नमैन्ट मोशन के लिए मना किया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप इसी को चर्चा में लीजिए, इसी को कंवर्ट कीजिए...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have not allowed the Adjournment Motion.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप इसी को कंवर्ट कीजिए, आपको अधिकार है। मैडम स्पीकर आपको अधिकार है, आप इसको कंवर्ट कीजिए और मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री ई.टी.मौहम्मद बशीर तथा श्री एम.के.राघवन को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं, आपने बोल दिया है, आप चर्चा का नोटिस दे दीजिए।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I have been giving notices for the last three days on the issue of rampage by *gaurakshaks* throughout the country. One

15 year old boy...* was stabbed to death in a train in Ballabgarh. उसके पहले राजस्थान के अलवर में ...* नाम के एक आदमी को पीट-पीट कर मार दिया गया है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No names will go on record.

प्रो. सौगत राय : जब से बीजेपी की सरकार हुकूमत में आई है, सारे देश में गौरक्षक तांडव कर रहे हैं। मैडम, प्रधान मंत्री जी बोलते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। ...(व्यवधान) ...* सारे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सबको बोलने का चांस नहीं दूंगी। आप बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं चर्चा के लिए मना नहीं कर रही हूँ।

...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, पूरा हिंदुस्तान गाय को गौमाता मानता है। ...(व्यवधान) गौमाता की रक्षा होनी ही चाहिए, यह पूरे देश का मत है। ...(व्यवधान) लेकिन यदि कोई गौरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में ले ले तो वह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ...(व्यवधान) गृह मंत्रालय ने सन् 2016 में सभी प्रदेशों को एडवाइज़री भेजी है। ...(व्यवधान) यह हर प्रदेश के कानून और व्यवस्था का मामला है। ...(व्यवधान) ऐसी समाज विरोधी ताकतों से वहां की सरकारों को डील करना चाहिए। ...(व्यवधान) गाय की रक्षा करना, गौवंश की रक्षा करना, यह संविधान के निर्देशक तत्व का, Directive Principle Of State Policy का एक मुख्य बिंदु है। ...(व्यवधान) यह भी हम कहना चाहेंगे। ...(व्यवधान) लेकिन गौरक्षा के नाम पर कोई भी गुंडागर्दी करे, वह भी भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ...(व्यवधान) इसके लिए हम बहुत ही जागरूक हैं। ...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : श्री जगदंबिका पाल।

...(व्यवधान)

12.17 hours

(At this stage Shri Mohammad Salim, Shrimati Ranjeet Ranjan, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, आज देश के कई राज्यों में बाढ़ की भयावह स्थिति है। ...(व्यवधान) चाहे वह असम हो, जहां 70 लोगों की मौत हो चुकी है, चाहे गुजरात हो, उत्तराखण्ड हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो।...(व्यवधान) इस संबंध में जो बाढ़ के पूर्व अनुमान होते हैं, वह केंद्रीय जल आयोग को बताना होता है कि इन राज्यों में बाढ़ आ सकती है। ...(व्यवधान) महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह है कि देश में बाढ़ के पूर्व अनुमानों को पहुंचाने के लिए सन् 2016 तक 375 टेलीमैट्री स्टेशन लगे थे, उनमें से 222 टेलीमैट्री स्टेशन खराब पड़े हुए हैं। ...(व्यवधान) उसके खराब होने के कारण आज बाढ़ का पूर्व अनुमान नहीं लगता है, जिससे बड़े पैमाने पर जनधन का नुकसान होता है और लोगों की जानें जाती हैं। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में आज नेपाल के बांध गंगा से या नेपाल की जो दूसरी नदियां हैं, महाव है या धरहई है, इसमें जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश भारतनगर, बलरामपुर, बहराईच, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज में बाढ़ की स्थिति है। उसी तरह से उड़ीसा में भी बाढ़ की स्थिति भयावह है। ...(व्यवधान) झारखण्ड में भी बाढ़ की स्थिति भयावह है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री आलोक संजर एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): अध्यक्ष महोदया, आपने शून्य काल में मुझे अपनी बात बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। ...(व्यवधान) महोदया, यह बात कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि मैं तीसरी बार यह विषय सदन में उठा रहा हूँ। ...(व्यवधान) हम सब जानते हैं कि पिछले साल महाराष्ट्र में महाड में बाढ़ की वजह से एक पुल बह गया था। ...(व्यवधान) उसमें कई सारे लोगों की मौंत हो गई थी। मेरे क्षेत्र कोल्हापुर में एक ब्रिज 138 साल पुराना है। ...(व्यवधान) पिछले साल उस पर भी खतरा पैदा हुआ था। ...(व्यवधान) वह ब्रिज उस वक्त भी बंद कर दिया गया था। ...(व्यवधान) जब मैंने सदन में इसकी आवाज़ उठाई थी तब माननीय गडकरी जी ने इस विषय पर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें माननीय मंत्री श्री महेश शर्मा जी भी मौजूद थे, महाराष्ट्र के भी दो मंत्री मौजूद थे।

...(व्यवधान) उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि आर्कलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो ऑब्जेक्शन लिया था, वह कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहां पर कोई आर्कलॉजिकल साइट अस्तित्व में नहीं है। ...(व्यवधान) एक महीने के अंदर-अंदर इस ब्रिज को परमिशन दी जाएगी। ...(व्यवधान) ऐसा उस वक्त अधिकारियों ने जवाब दिया था। ...(व्यवधान) आज उसको एक साल पूरा हो चुका है। ...(व्यवधान) पिछले साल महाड में जो ब्रिज बहा था, गडकरी जी ने उसको एक साल में पूरा कर दिया है, वहां पर उद्घाटन भी कर दिया है। ...(व्यवधान) लेकिन कोल्हपुर का ब्रिज जो डेढ़ सौ गांवों को कनैक्ट करता है, अच्छी बारिश होने की वजह से पानी बढ़ गया है, अभी तीन दिन से वह ब्रिज बंद कर दिया गया है। ...(व्यवधान) रोज़ 50 हज़ार से ज्यादा लोग उस ब्रिज से आवागमन करते हैं। ...(व्यवधान) डेढ़ सौ गांवों की कनैक्टिविटी टूट चुकी है। ...(व्यवधान) महोदया, हम सैटेलाइट स्पेसशिप की बात करते हैं। ...(व्यवधान) बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन यह छोटा सा रास्ता, अधिकारियों के एडमेंट बिहेवियर की वजह से रूका पड़ा है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं 10 बार अधिकारियों से मिला हूँ। ...(व्यवधान) मीटिंग में इन्होंने हर बार यह बताया कि यह बिल अमेंडमेंट के लिए कैबिनेट में गया है।...(व्यवधान) क्या एक साल से कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और सरकार से जानना चाहता हूँ।...(व्यवधान) यह बहुत ही गम्भीर विषय है।...(व्यवधान) अगर अधिकारी काम नहीं करते हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं, तो इनको कुर्सी खाली करनी चाहिए।...(व्यवधान) आप इस विषय में गंभीरता से ध्यान दें।...(व्यवधान) ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ।...(व्यवधान) धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री धनंजय महाडीक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अमरनाथ यात्रियों से सम्बन्धित बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जानना चाहता हूँ।...(व्यवधान) मैं पिछले कई वर्षों से देखता आया हूँ कि अमरनाथ यात्रा के दौरान प्रत्येक वर्ष आतंक का साया रहता है और इस वर्ष तो 11 जुलाई को वर्ष 2001 के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ।...(व्यवधान) जिसमें 8 यात्री मारे गए, जबकि 19 गम्भीर रूप से घायल हो गए।...(व्यवधान) कहीं न कहीं यात्रियों की सुरक्षा में चूक हुई है।...(व्यवधान) अमरनाथ यात्रा में गए श्रद्धालुओं पर हमला कायरता की निशानी है और इसका सही जवाब देने का समय आ गया है।...(व्यवधान) पाकिस्तान में खुले आम आतंकी कैम्प चल रहे हैं।...(व्यवधान) बॉर्डर से लगातार घुसपैठ हो रही है।...(व्यवधान) साथ ही आतंकी संगठन पाकिस्तान में सभा करके भारत को लगातार धमकी दे रहे हैं।...(व्यवधान) अब बर्दाश्त करने का समय नहीं है।...(व्यवधान) आतंक को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है।...(व्यवधान) निहत्थे श्रद्धालुओं पर हमला किया जाना किसी को बर्दाश्त नहीं

है।...(व्यवधान) पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान और इसके आतंकी संगठनों को स्थायी इलाज निकाला जाये।...(व्यवधान)

इसके 5 दिनों के बाद 16 जुलाई को 16 अमरनाथ यात्री मारे गए एवं 19 श्रद्धालु घायल हो गये।...(व्यवधान) जब एक बस जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में नीचे खाई में गिर गयी।...(व्यवधान)

मेरा सरकार से निवेदन है कि अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का काम है।...(व्यवधान) अमरनाथ यात्रा के दो मार्ग हैं।...(व्यवधान) एक पहलगाम के रास्ते और दूसरा बालटाल के रास्ते से है।...(व्यवधान) दोनों रास्ते दुर्गम पहाड़ों से होकर जाते हैं और बहुत ही संकरे हैं।...(व्यवधान) इन रास्तों पर बेसिक सुविधाओं की भी अत्यंत कमी है।...(व्यवधान) यात्रा पर जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।...(व्यवधान) मेरी माँग है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा जैसी सुविधा अमरनाथ यात्रा में भी उपलब्ध करायी जाए।...(व्यवधान) वहाँ के जैसी सुविधाओं के विकास के लिए तुरन्त पहल शुरू कर दी जानी चाहिए।...(व्यवधान) आशा है कि गृह मंत्री जी इसका संज्ञान लेकर अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में अवश्य निर्देश जारी करेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री अर्जुन लाल मीणा, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है

SHRI AJAY MISRA TENI (KHERI): Hon. Madam Speaker, I would like to bring it to your kind notice that there is no Central Council for Physiotherapy. There are 296 colleges offering Undergraduate Physiotherapy Programme -- Bachelor of Physiotherapy (BPT) of four and a half years and 16 colleges offering Master of Physiotherapy (MPT) of two years duration. The Ph.D Programme in Physiotherapy is offered in 16 colleges and 11 universities in our country.

Physiotherapy is used to assess plan, dialogue and recovery like paralyzed bodies, sports injuries and fractured joints pain. However till now, there is no Central Council to regulate this profession. But it is very much necessary to have a Central Council for Physiotherapy to guide and regulate programme of this profession and also to look into issues and problems of the students. I think this will be greatly helpful for the physiotherapy professionals.

I would, therefore, request the hon. Health Minister for establishment of a Central Council for Physiotherapy. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान) एक बहुत महत्वपर्ण मुद्दा टी.वी. चैनल के माध्यम से सामने आया है।...(व्यवधान) लिंडस्टॉर्म करके एक व्यक्ति है, जिसने बोफोर्स की इन्वेस्टिगेशन की थी।...(व्यवधान) उसके मुताबिक अभी ऐसा सामने आया है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और...* जो स्वीडन के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में लेन-देन हुआ और उस लेन-देन के जो दस्तावेज थे, वे आज भी भारत सरकार के डिब्बों में बन्द हैं।...(व्यवधान) क्योंकि स्विटजरलैंड के बैंक्स ने कुछ काम किया था।...(व्यवधान) उन दस्तावेजों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई।...(व्यवधान) जो लैटर रोगेटरी भेजा गया था, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई।...(व्यवधान) और लगातार यह कहना कि 30 साल पुराना मुद्दा है, गड़े मुर्दे नहीं उठाने चाहिए।...(व्यवधान) मेरा यह मानना है कि गड़े मुर्दे जब तक सही तरीके से विधिवत तरीके से दफन नहीं होते, तो वे भूत-पिशाच बनकर घूमते रहते हैं।...(व्यवधान) आज के समय पर बोफोर्स का जो जिन्न है, वापस बोतल से बाहर आ गया है।...(व्यवधान) जो बोफोर्स बोतल से बाहर आया है, उसका विधिवत दफन होना चाहिए।...(व्यवधान) विधिवत दफन तभी हो सकता है, जब उसकी जानकारी पूरे देश को प्राप्त हो।...(व्यवधान) हम सब लोग इस मामले की दोबारा से जानकारी चाहते हैं।...(व्यवधान) भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा टी.वी. चैनल्स पर आ गया।...(व्यवधान) मुझे तो याद है कि वर्ष 1990 में जब मैंने वकालत ज्वाइन की तो...* की कोर्ट के अन्दर यह मामला चल रहा था और किस तरीके से जमानत दी जा रही थी, जबकि वह जमानत का केस नहीं था।...(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. वीरेन्द्र कुमार, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अर्जुन लाल मीणा श्री आलोक संजर, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रामचरण बोहरा, श्री हरीश मीना, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री राहुल कस्वां, श्री हरिओम सिंह राठौड़, श्री शरद त्रिपाठी, डॉ. सत्यपाल सिंह, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर और श्री ए.टी.नाना पाटील को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Thank you Madam. My issue is regarding reimbursement cost for operation of intra-State air connectivity and

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

promotion of inter-State air connectivity under RCS component of National Aviation Policy, 2016. … (*Interruptions*)

The Government of India under RCS Scheme have decided to connect Bhubaneswar with Jeypore, Utkela, Jharsuguda and Rourkela in Odisha. … (*Interruptions*) The Government of India have also proposed inter-State flight operation from Bhubaneswar-Utkela-Raipur, Bhubaneswar-Jharsuguda-Ranchi, Kolkata-Rourkela and Jharsuguda-Raipur. … (*Interruptions*) The State Government has decided to provide 20 per cent VGF and the Government of India will provide 80 per cent of the VGF so that the air fare is limited to Rs. 2,500 for one hour of flying. … (*Interruptions*)

However, the Scheme envisages substantial expenditure on making Jeypore, Utkela, Jharsuguda, Rourkela and other airstrips functional by arranging airport manager, round the clock security, fire services, taking license for running of airports or airstrips, etc. … (*Interruptions*) The State Governments have a very little experience in running the airports and, therefore, the Government of Odisha has signed MoU with Airports Authority of India for Jharsuguda Airport where the Government is providing free land and funds for development of a full-fledged airport. Similarly, the Rourkela airstrip is maintained by SAIL. … (*Interruptions*)

The Jharsuguda Airport is one of the best airports in the country. It was set up in 1945. … (*Interruptions*) The Government of Odisha have provided all the basic facilities. All the infrastructure facilities have been provided by the Government of Odisha. … (*Interruptions*)

Therefore, I would request that the airport should be developed by AAI with the support of the Government of Odisha. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं रवीन्द्र कुमार जेना को डॉ. प्रभास कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण।

…(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : किसानों की खेती प्रभावित हो रही है क्योंकि खेतों में बरसात का पानी सूख जाता है और वहाँ जल स्तर नीचे जा रहा है। यह भी देखा गया है कि अगर बरसात होती है तो इतना पानी बरसता है कि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और किसानों की फसल को बहुत नुकसान पहुँचता है। देश में बढ़ते तापमान से पेड़-पौधे सूख जाते हैं जिससे देश में प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। भविष्य में यह तापमान बढ़ सकता है। …(व्यवधान) इस तरह से आने वाला कल ऊँचे तापमान का होगा और किसानों को तथा शहरों में रहने वाले लोगों को कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि जो तापमान बढ़ रहा है, उससे महाराष्ट्र में होने वाली परेशानी से वहाँ के लोगों को राहत प्रदान की जाए। इसके लिए महाराष्ट्र में वनरोपण का कार्यक्रम चालू है। हमें सब जगह ऐसे वनरोपण के कार्यक्रम करने चाहिए। खाली जगहों पर पेड़ लगाए जाएँ, रेलवे लाइनों के किनारे पेड़-पौधे लगाएँ, ऐसी मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, यदि विपक्ष को इस बारे में बोलना चाहिए तो खड़गे जी भी जानते हैं और अन्य माननीय सदस्य भी जानते हैं कि उनको नोटिस देना चाहिए, उनको संयम बरतना चाहिए। जैसे माननीय सदस्य कोडीकुन्नील सुरेश ने पेपर फेंके, यह चेयर के खिलाफ बहुत बड़ा असम्मान है। …(व्यवधान) मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इसके बारे में कार्रवाई करें। पूरा सदन इसका विरोध करता है। …(व्यवधान) पूरा सदन इसकी निन्दा करता है। …(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वे ऐसा दुर्व्यवहार करें, ऐसा असंसदीय व्यवहार करें कि कागज़ को छीनकर फेंकें। हम इसकी घोर निन्दा करते हैं और पूरा हाउस इसके खिलाफ है। …(व्यवधान) चेयर का मान सम्मान सबसे ऊँचा है, उसको वैसे ही रखना चाहिए। पूरा हाउस आपके साथ है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ सुनिए, बैठिए। आप लोग तो शांति से बैठिए। पूरे हिन्दुस्तान को देखने दीजिए। मैं चाहूँगी कि इन्को दिखाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इतने लैवल पर जा रहे हैं। No, I am sorry. आप बैठिए, प्लीज़ बैठिये।

…(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : यह शर्मनाक है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता इतनी हद तक गिर जाते हैं कि चेयर के ऊपर पेपर फेंकते हैं। हम इसकी पूरी निन्दा करते हैं। जिन मैम्बर्स ने ऐसा किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको नेम करना चाहिए, हाउस से बाहर करना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे भी देखने दो कि कितनी अनुशासनहीनता ये लोग कर सकते हैं, जबकि हम डिस्कसन करने दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय मीनाक्षी लेखी ने जो बातें कही हैं, उससे संबद्ध होते हुए मैं बोफोर्स के कुछ तथ्यों की जानकारी सदन को देना चाहता हूं।...(व्यवधान) दिनांक 22.10.1999 को इसकी एक चार्जशीट दाखिल होती है।...(व्यवधान) दूसरी चार्जशीट दिनांक 09.10.2000 को बोफोर्स में दाखिल होती है।...(व्यवधान) चार्जशीट दाखिल होने के बाद जब यह केस आगे बढ़ता है तो हाई कोर्ट का एक जजमेंट आ जाता है और हाई कोर्ट का जजमेंट दिनांक 31 मई, 2005 का होता है और वह चार्जशीट को क्वैश कर देता है।...(व्यवधान)

स्पीकर मैडम, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।...(व्यवधान) इस केस का पूरा तथ्य देश को पता होना चाहिए।...(व्यवधान) चार्जशीट जब हाई कोर्ट में क्वैश हो जाती है तो सी.बी.आई. सरकार को कहती है, डी.ओ.पी.टी. को और उस वक्त के ...*, को कहती है कि हमें इस केस को चालू करना चाहिए।...(व्यवधान) उस सरकार ने, ...* डी.ओ.पी.टी. को परमिशन नहीं दिया।...(व्यवधान) लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि यह केस नहीं चलाना है। ...* का केस, ...* का एकाउंट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में जिस दिन जजमेंट दिया, उसी दिन... * ने पूरा-का-पूरा पैसा लंदन के बैंक से निकाल लिया।...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सी.बी.आई. इस केस को वर्ष 2005 से दोबारा खोलना चाहती है।...(व्यवधान) केन्द्र में हमारी सरकार है। ...* का पैसा चला गया।...(व्यवधान) यह क्विड-प्रो-को है। ...* इसमें सामने आ चुका है।...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा देकर इस केस को दोबारा चालू करे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री दुष्यंत सिंह, श्री आलोक संजर, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री ए.टी.नाना पाटील, श्री गणेश सिंह, श्री शरद त्रिपाठी, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रामचरण बोहरा, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

---

* Not recoreded.

HON. SPEAKER: Shri Ravindra Kumar Pandey – not present.

… (*Interruptions*)

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदोली) : माननीय अध्यक्षा जी, मेरे मतदार संघ के अति महत्वपूर्ण विषय पर शून्य काल में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।...(व्यवधान) गुजरात के मेरे मतदार संघ के सूरत जिले में से गुजरता हुआ नेशनल हाईवे नं. 8 पर सावा क्रॉसिंग, दामड़ोद क्रॉसिंग, नंदाव क्रॉसिंग, वाव स्कूल क्रॉसिंग, हथोड़ा क्रॉसिंग, करण क्रॉसिंग, बलेश्वर क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर या अंडरपास नहीं होने की वज़ह से बहुत-सी जानलेवा दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इसमें सैंकड़ों से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं।...(व्यवधान)

इसलिए मैं आपके माध्यम से इन सभी ब्लैक स्पॉट प्वायंट्स पर जल्द-से-जल्द फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने की मांग करता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्रग सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है कि केन्द्रीय उड्डयन मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने श्री लालू प्रसाद यादव एवं श्रीमती राबड़ी देवी को पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल में बिना जांच के प्रवेश करने के विशेषाधिकार पर रोक लगाकर अत्यंत ही निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई की है।...(व्यवधान) यह अत्यंत ही खेदजनक है।...(व्यवधान) वी.वी.आई.पी. कैटेगरी लालू जी को पूर्व से प्राप्त है, जो सुरक्षा और सेहत के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है।...(व्यवधान) यह दुर्भावना से ग्रसित निर्णय है।...(व्यवधान) यह घोर निंदनीय है, लोकतंत्र के लिए घातक है।...(व्यवधान) उन्हें एन.एस.जी. की सुरक्षा प्राप्त है, ज़ेड सिक्यूरिटी प्राप्त है। ...* ...(व्यवधान) उनकी जान का खतरा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रंजीत रंजन जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रंजीत रंजन जी नहीं बोलना चाहती हैं।

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ जी।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान) महाराष्ट्र में लातूर मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र है।...(व्यवधान) कुछ दिन पहले दसवीं और बारहवीं की परीक्षा का रिजल्ट आया।...(व्यवधान) ग्यारहवीं क्लास में प्रवेश के लिए मार्क्स का प्रतिशत बहुत बढ़ गया है।...(व्यवधान) लातूर में तो कई कॉलेज ऐसे हैं, जहां 97 प्रतिशत मार्क्स पर साइंस और कॉमर्स में प्रवेश बंद हो गया।...(व्यवधान) बहुत सारे महाविद्यालयों में प्रवेश मिलने के लिए सांसद व विधायक के पत्र देने पड़ते हैं, फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में मेरिट के विद्यार्थियों को भी प्रवेश नहीं मिला।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विनती करता हूं कि दसवीं पास होने वाले सभी विद्यार्थियों को ग्यारहवीं और डिप्लोमा में सरल प्रवेश मिले और सरकार इसे ध्यान देकर राज्य सरकार को सूचना दें कि कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पी.के.बिजू; - उपस्थित नहीं हैं।

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Madam, this is regarding expediting setting up of the Equal Opportunities Commission as per the Sachar Committee Report.

Madam Speaker, in March, 2005, the UPA Government had appointed a High Level Committee headed by Justice Rajinder Sachar to examine the socio-economic and educational status of the Muslim Community in India. Its report was Tabled in Parliament in November 2006 which had put forth recommendations to address the conditions and issues identified as affecting Muslims in India. These include the creation of an Equal Opportunities Commission to look into grievances of deprived groups like minorities.

According to the Ministry of Minority Affairs, press note on the status of implementation of the Sachar Committee report released by PIB in February 2014, an Expert Group was set up 31st August, 2007 to study the proposal of the Commission. The Expert Group submitted its report on 13th March, 2008. Further, as per the press note, based on the Expert Group Report recommendations of Group of Ministers constituted for this purpose and comments/inputs received

from various stakeholders, a proposal for setting up of Equal Opportunity Commission through an Act of the Parliament is under consideration of the Government.

However, ten years since the Tabling of the Committee report and eight years since the report of the Expert Group, no legislation on the Equal Opportunities Commission has been introduced in the Parliament.

I urge upon the Government to look into the matter and introduce a Bill to give effect to the Equal Opportunities Commission at the earliest.

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत तथा श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री बी.विनोद कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया जी, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चर्चा के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन इस तरह से चर्चा नहीं होती है।

...(व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: महोदया, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...(व्यवधान) 21 जुलाई को मध्य प्रदेश के अशोक नगर में वहां के शासकीय चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर का उद्‌घाटन स्थानीय विधायक श्री गोपीलाल जी जाटव, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा उस ट्रामा सेंटर का उद्‌घाटन किया गया जिसमें वहां के नगरपालिका अध्यक्ष, शासकीय चिकित्सालय के सभी वरिठ अधिकारी और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।...(व्यवधान) उनके उपस्थिति में ट्रामा सेंटर का उद्‌घाटन किया गया, लेकिन उद्‌घाटन होने के बाद संसद के एक महत्वपूर्ण सदस्य, वहां के सांसद ...* के प्रतिनिधि...* श्री तामरे ने इस तरह का एक वक्तव्य दिया कि वहां पर एक दलित विधायक के द्वारा जिस स्थान का उद्‌घाटन किया गया है, वहां पर गंगा जल का छिड़काव करके उस स्थान को पवित्र किया जाएगा और दोबारा उस स्थान का उद्‌घाटन किया जाएगा।...(व्यवधान) वहां पर 22 तारीख को गंगा जल का छिड़काव करके ...* द्वारा उस स्थान का दोबारा उद्‌घाटन किया गया।...(व्यवधान) उस स्थान का उद्‌घाटन 22 तारीख को किया गया। इससे कांग्रेस के सामंतवादी नीयत और दोहरा चेहरा सामने आ गया।...(व्यवधान) एक तरफ ये लोग गांधीवादी होने का दावा करते हैं, अस्पृश्यता निवारण की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर दलित समाज के प्रतिनिधि के प्रति इनका कितना प्रेम है, इस ट्रामा सेंटर के उद्‌घाटन से

---

* Not recorded.

यह बात सामने आ गई।...(व्यवधान) पूरे देश का अनुसूचित जाति समाज इस घटना से बहुत ज्यादा उद्वेलित है।...(व्यवधान) इससे अनुसूचित जाति समाज में काफी असंतोष है।...(व्यवधान)

हमने एक ओर देश के सर्वोच्च स्थान पर महामहिम राष्ट्रपति के पद पर अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति को, अधिकांश दलों का सहयोग लेकर स्थापित करने का काम किया है और दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं ने एक दलित विधायक का अपमान करके, पूरे दलित समाज को अपमानित करने का काम किया है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस घटना में संलग्न रहने वाले...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र अग्रवाल, डॉ. सत्यपाल सिंह, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्रीमती रीती पाठक, श्री शरद त्रिपाठी, श्री आलोक संजर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर तथा श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मनोहर उटवाल (देवास) : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह घटना अशोक नगर में कोई पहली बार नहीं हुई है।...(व्यवधान) मैं अशोक नगर जिले का प्रभारी मंत्री भी रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सहयोगी बन सकते हो न।

...(व्यवधान)

श्री मनोहर उटवाल : जी, मेरा निवेदन है कि पहले भी अशोक नगर के विधायक श्री लड्डू राम कोरी के पत्थर तथा उनके शिलालेख को इसी प्रकार से गंगा जल से धोया गया था।...(व्यवधान) उसके बाद राजा-महाराजा वहां जाकर उस स्थान को गंगा जल से धोकर अपना शिलालेख लगाते हैं।...(व्यवधान) इसमें खास बात यह है कि एक भी दलित नेता, एक भी अनुसूचित जाति वर्ग का नेता अपना पत्थर इनकी लोक सभा क्षेत्र में गाड़ ही नहीं सकता है।...(व्यवधान) यह इनका आतंक है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब सहयोगी बन सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मनोहर उटवाल : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान) मैं बहुत तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब लोग सहयोगी बनिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री मनोहर उटवाल : इस पर चर्चा होनी चाहिए। …(व्यवधान)

प्रो.चिंतामणि मालवीय(उज्जैन): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बहुत ही संवेदनशील विषय पर बोलने का अवसर दिया। पिछले दिनों दिल्ली में चार अनुसूचित जाति के सफाईकर्मी मेन होल में …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना विषय दे दो।

…(व्यवधान)

प्रो.चिंतामणि मालवीय: अध्यक्ष महोदया, सफाईकर्मी का लिख कर दिया हुआ है, 17वां नंबर है। …(व्यवधान) महोदया, पिछले दिनों चार मेन होल में गिर कर सफाईकर्मी मारे गए। पिछले साल में 35 सफाईकर्मी सफाई के दौरान मारे गए, मेन होल में, सीवर लाइन में, रेलवे ट्रैक की सफाई में। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को प्रो.चिंतामणि मालवीय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और दुःखद विषय इस हाउस में उठाना चाहता हूं। जो 48 भारतीय इराक में लापता हैं, …(व्यवधान) मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि दो मिनट के लिए शांत हो जाएं, इंसानियत का मामला है, …* बंद कर दें, बहुत महत्वपूर्ण विाय है। …(व्यवधान)

मैडम स्पीकर, बहुत लंबे समय से जो 48 भारतीय इराक में लापता हैं। …(व्यवधान) जिस दिन से ये लापता थे, हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से विशेष रूप से मैडम सुषमा स्वराज जी की ओर से कोशिशें की गईं, सिंसयर एफर्ट्स की गईं। …(व्यवधान) परिवारजनों को विश्वास दिलाया गया कि वे जीवित हैं। …(व्यवधान) इंस्पाइट ऑफ दैट, वहां से एक लड़का, हरजीत सिंह उनमें से भाग कर आया। …(व्यवधान) उसने बताया कि उसकी आंखों के सामने उनको मार डाला है। …(व्यवधान) हमारे माननीय मंत्री जी ने उनको ढूंढने की बहुत कोशिशें कीं, मगर आज दो दिन से जो खबरें आ रही हैं, समाचार आ रहे हैं, वह ऐसे आ रहे हैं। …(व्यवधान) जहां बताया जा रहा था कि चर्च में हैं, वह चर्च खाली है, जहां बताया जा रहा था कि जेल में हैं, वह जेल ही खत्म हो गई है। …(व्यवधान) हमारे पंजाब के ज्यादा बच्चे हैं। …(व्यवधान) परिवारजन जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या हैं …(व्यवधान) मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से माननीय

---

* Not recorded.

मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि परिवारजनों को सच्चाई बताई जाए। ...(व्यवधान) क्या मजबूरी है, क्या इंटेलिजेंसिया फेल हुआ, क्या डिप्लोमैटिक रिलेशन फेल हुए, सच्चाई क्या हैं ...(व्यवधान) प्रभावित परिवारों की मदद की जाए। ...(व्यवधान) अगर वे नहीं लौट पाए, तो उनके लिए कोई न कोई मदद का उपाय किया जाए। ...(व्यवधान) सच्चाई हमारे हाउस में रखी जाए और परिवारों को बताई जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चंदूमाजरा जी, आज शाम पांच बजे ...

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : मैडम, आवाज आनी बंद हो गई। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शाम को पांच बजे आपके विषय, इसी विषय पर, क्योंकि आज ही इराक के विदेश मंत्री आ रहे हैं, मगर माननीय सुषमा स्वराज शाम को पांच बजे इस बात पर अपना स्टेटमेंट देंगी।

...(व्यवधान)

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मेरे मतदान क्षेत्र कांदीवली, पूर्व आकोली रोड पर ईएसआईएस का एक हॉस्पिटल है, जो चार साल पहले बन कर रेडी हो गया था। डेढ़ साल पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हमारे केन्द्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने इसकी ओपनिंग की।

अध्यक्ष जी, 180 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी आज यह हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। इसे केन्द्र सरकार चलाए या राज्य सरकार चलाए, यह झगड़ा अभी तक समाप्त नहीं हो रहा है। मैं स्वयं और किरीट सोमैया जी ने इसके बारे में दो-तीन बार महाराष्ट्र सरकार के साथ में मीटिंग ली, बंडारू जी के साथ में हम लोगों ने मीटिंग ली, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 200 अधिकारी महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करेंगे या राज्य सरकार के साथ काम करेंगे, इस झगड़े की वजह से अभी तक यह हॉस्पीटल शुरू नहीं हो पा रहा है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अगर केन्द्र सरकार के अधिकारी दोषी हैं तो केन्द्र सरकार उन पर कार्रवाई करे और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी दोषी हैं तो महाराष्ट्र सरकार उन पर कार्रवाई करे और तुरंत ईएसआईसी का हॉस्पीटल शुरू हो ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त होना शुरू हो, ...(व्यवधान) यही मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री धर्मवीर (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान किसान की तरफ ले जाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) बहुत वर्षों से देश का किसान गरीबी में है, ...(व्यवधान) दयनीय स्थिति में है। ...(व्यवधान) देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इनकी आमदनी दोगुणी कैसे हो सकती है। ...(व्यवधान) एक तरफ जब किसान थोड़ा पैसा हजार रुपये या लाखों रुपये लेता है और बैंक से डिफॉल्ट हो जाता है तो उसकी जमीन को वहां का बैंक कुर्क कर देता है दूसरी तरफ हजारों और लाखों करोड़ों रुपये कंपनी वाले लेने के बाद एनपीए घोषित करा देते हैं ...(व्यवधान) ताकि उसका ब्याज न लगे, मूलधन से भी कम में उसका समझौता हो जाता है। ...(व्यवधान) दूसरी तरफ किसान के कर्ज को बैंक एनपीए घोषित नहीं करते। माननीय अरूण जेटली को सुझाव है कि किसान के ऋण को भी एनपीए घोषित कराया जाए क्योंकि यह घाटे का सौदा है अगर यही हालात रहें तो देश का किसान खेती करना छोड़ देगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री शरद त्रिपाठी को श्री धर्मवीर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सुगत बोस - उपस्थित नहीं।

श्रीमती सावित्री ठाकुर (धार): अध्यक्ष महोदया, इंदौर शहर मेरे लोक सभा क्षेत्र से लगा हुआ है। यहां के एयरपोर्ट को वर्तमान में डोमेस्टिक एयरपोर्ट का दर्जा है। ...(व्यवधान) यह मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, ...(व्यवधान) इसके आसपास का पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र है। यहां विदेशी निवेश करने के लिए आवागमन करते हैं, इंदौर एयरपोर्ट से लाखों यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं ...(व्यवधान) यहां के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करते हैं, विदेशी यात्री ...(व्यवधान) पौराणिक नगरी ओकेंश्वर और पर्यटक स्थल मांडव आते हैं।

मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि इंदौर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at two o'clock.

12.47 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.02 hours

The Lok Sabha reassembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(HON. SPEAKER *in the Chair)*

SUSPENSION OF MEMBERS

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज शून्यकाल में हाउस में माननीय खड़गे जी और कुछ मैम्बर्स की डिमांड थी कि दलितों, माइनोरिटीज़ पर जो एट्रोसिटीज़ होती हैं, उसके संबंध में बात करना चाहते हैं। मैंने बात करने का मौका भी दिया और यह भी कहा था कि अगर आप लोग इस पर डिसकशन चाहते हैं, I will allow the discussion. वही बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी कही कि सरकार भी डिसकशन के लिए तैयार है। यह बात कही गई। यह सब कुछ होने के बाद फिर भी अलग-अलग पार्टियों के मैम्बर्स वैल में आ गए, वैल में जिस तरीके से हंगामा हुआ, सीट पर जाने का बार-बार निवेदन किया गया, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। इतना ही नहीं, इतना होने के बाद ये सब कुछ चल रहा था, बाकी सब सदस्य, जिन्होंने जीरो आवर का नोटिस दिया था, जिनके नाम सूची में आए थे, जब उनको बुलाना शुरु कर दिया, उस समय श्री गौरव गोगोई ने टेबल के ऊपर, जहां हमारा स्टाफ बैठा है, वहां से कुछ पेपर उठाए, पेपर हवा में लहराए और कुर्सी की तरफ फेंके, फिर श्री के. सुरेश जी ने भी टेबल से कुछ पेपर उठाए, उनको फाड़ा, टुकड़े किए और चेयर की तरफ फेंके। उसी प्रकार श्री अधीर रंजन चौधरी, श्रीमती रंजीता रंजन, कुमारी सुष्मिता देव और श्री एम.के. राघवन, इन लोगों ने भी इसी प्रकार पेपर फाड़े, अपने हाथ के पेपर फाड़े होंगे, छोटे टुकड़े किए और चेयर की तरफ फेंके। उनका यह कंडक्ट कहीं भी ठीक नहीं था।

This conduct of Members is highly unbecoming and in abuse of the Rules of the House, which seeks to undermine the dignity of the House.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: These Members by persistently and wilfully obstructing the business of the House have caused grave disorder.

I am, therefore, constrained to name Shri Gaurav Gogoi, Shri K. Suresh, Shri Adhir Ranjan Chaudhury, Shrimati Ranjeet Ranjan, Kumari Sushmita Dev and Shri M.K. Raghavan under Rule 374A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

… (*Interruptions*)

14.06 hours

(*At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All the Members whom I have named stand automatically suspended from the service of the House for five consecutive sittings in terms of provision of Rule 374A. They may forthwith withdraw from the precincts of the House.

I am sorry.

The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

14.07 hours

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.30 hours

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

(*At this stage, Shri K.C. Venugopal, Shri E.T Mohammad Basheer, Shri Mohammad Salim and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members suspended by the hon. Speaker may kindly withdraw from the House under Rule 374A.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Tuesday, the 25^{th} July, 2017 at 11.00 a.m.

14.31 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 25, 2017/Shravana 3, 1939 (Saka).